हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

आज दिनांक 27.09.2021 को शैक्षिक मामलों की समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में ऑफ लाईन व ऑन लाईन मॉड में आयोजित की गई इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर भाग लिया:

1 श्री वी0पी0 यादव, उपाध्यक्ष, ह0वि0शि0 बो0 भिवानी।
2 श्री कृष्ण कुमार, सचिव, ह0वि0शि0 बो0 भिवानी।
3 श्री जितेन्द्र भारद्वाज, रजिस्ट्रार, सी0बी0एल0यू0, भिवानी।
4 डॉ0 पवन कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, ह0वि0शि0 बो0 भिवानी।
5 डॉ0 अनिता शर्मा, प्रधानाचार्या, डी0पी0एस0 भिवानी।
6 श्री बजरंग लाल, प्रधानाचार्य, आर्यभट्ट सी0सै0 स्कूल फतेहाबाद।
7 श्री अतुल कुमार बतरा, प्रधानाचार्य मांउन्ट लिट्रा जी स्कूल, रेवाड़ी।
8 श्रीमती मीनाक्षी शारदा, उप–निदेशक, शैक्षिक। ह0वि0शि0 बो0 भिवानी।
9 डॉ0 चान्द राम शर्मा, सहायक सचिव, ह0वि0शि0 बो0 भिवानी।
10 श्री नेपाल सिंह, अधीक्षक, शैक्षिक ह0वि0शि0 बो0 भिवानी।

ऑन लाईन सहभागिता:

11 डॉ0 आर0के0 अनायत, उप–कुलपति, दीनबन्धु छोटू राम विश्वविद्यालय, मुरथल।
12 डॉ0 विनोद वर्मा, वैटरनरी फारमाकॉलॉजी लुआस हिसार।
13 श्री हरि कौशिक,सेवानिवृत प्रो0 सी0सी0 एस0 एच0ए0यू0 हिसार
14 डॉ0 श्रीमती राजेश गिल, महाराजा सुरजमल कॉलेज , दिल्ली।
15 श्री अनिल गोयल, निदेशक, दा आर्यन स्कूल, भिवानी।
16 श्री कृष्ण कुमार, प्रधानाचार्य रा0व0मा0वि0 जहाजपुल, हिसार।
17 श्री सुनील त्यागी, प्रधानाचार्य, रा0क0व0मा0वि0 मुरथल।
18 श्री अनिल कुमार, सहायक निदेशक, कोर्डिनेशन निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
19 श्री अजय सिहं चौहान, विषय विशेषज्ञ, एकैडमिक सैल, निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला।
20 श्री सत्यवीर सिंह यादव, पीजी0टी0 रा0व0मा0वि0 खोरी, रेवाड़ी।
21 डॉ0 सुनील, बजाज, उप–निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी हरियाणा गुरूग्राम।
22 डॉ0 पूर्ण प्रभा, उप–प्रधानाचार्या राजकीय महिला महाविद्यालय, नारनौल।
23 डॉ0 रामअवतार लाम्बा, सेवा निवृत प्रो0 सी0सी0 एस0 एच0ए0यू0 हिसार
24 श्री सुभाष सैनी, प्रधानाचार्य, सरस्वती बाल मन्दिर नारनौल।

बैठक में सभी मुद्दो पर विस्तार से चर्चा हुई चर्चा उपरान्त जो प्रस्ताव दिये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है:

मद संख्या 01

"समकक्षता–कम–विनियम समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 में लिए गये निर्णय शैक्षिक मामलों की समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

टिप्पणी :

Board of Secondary Telangana State द्वारा संचालित सैकेण्डरी परीक्षा को इस बोर्ड द्वारा संचालित सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करने, Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim द्वारा संचालित सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा को इस बोर्ड द्वारा संचालित सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करने, शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा आठवीं की परीक्षा बोर्ड स्तर पर प्रस्तावित होने के कारण विनियम संख्या–96 में संशोधन करने, बोर्ड बैठक दिनांक 19.03.2021 के सामान्य विचार–विमर्श Admission Withdrawal Register एक रखने बारे हुए निर्णय को विनियमों में शामिल करने एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली–2003 विद्यालयी शिक्षा हरियाणा द्वारा भेजे गए संशोधित नियमों को बोर्ड नियमों में शामिल करने हेतु दिनांक 22.09.2021 को समकक्षता–कम–विनियम समिति की बैठक में शामिल सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव दिया गया, वह इस प्रकार है :–

बिन्दु सं.–1.

Board of Secondary Telangana State द्वारा संचालित सैकेण्डरी परीक्षा को इस बोर्ड द्वारा संचालित सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करने हेतु संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सभी तथ्यों के दृष्टिगत कमेटी के सदस्यों द्वारा Board of Secondary Telangana State द्वारा संचालित सैकेण्डरी परीक्षा को इस बोर्ड द्वारा संचालित सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

बिन्दु सं.–2.

Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim द्वारा संचालित सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं को समकक्ष मान्यता प्रदान करने हेतु संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सभी तथ्यों के दृष्टिगत कमेटी के सदस्यों द्वारा Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim द्वारा संचालित सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा को इस बोर्ड द्वारा संचालित सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

बिन्दु सं.–3.

शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा आठवीं की परीक्षा बोर्ड स्तर पर प्रस्तावित होने के कारण विनियम संख्या–96 में जो संशोधन किया गया है, वो परिशिष्ठ "A" पर संलग्न है।

<u>बिन्दु सं.–4.</u>

बोर्ड बैठक दिनांक 19.03.2021 के सामान्य विचार–विमर्श में Admission Withdrawal Register एक रखने बारे Register का प्रारूप बोर्ड द्वारा तैयार किया जाना है। उक्त बारे हुए निर्णय को विनियमों में शामिल करने हेतु भाषा तैयार की गई, जो परिशिष्ठ "B" पर संलग्न है।

<u>बिन्दु सं.–5.</u>

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग नियम–2003 विद्यालयी शिक्षा हरियाणा द्वारा भेजे गए संशोधित नियमों को बोर्ड के नियमों में शामिल करने बारे बैठक में शामिल सदस्यों द्वारा सहमति दी, जो परिशिष्ठ "B" पर संलग्न है।

<u>बिन्दु सं.–6.</u>

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में अन्य बोर्ड से सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत इस प्रकार के विद्यार्थी को कक्षा ग्यारहवीं में दाखिला देते समय बोर्डज/संस्थान की वैधता एवं समकक्षता की जाँच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की समकक्षता सूची अनुसार जो बोर्ड वेबसाईट <u>www.bseh.org.in</u> पर उपलब्ध है, से जाँच उपरांत दाखिला किया जाए।

अतः उक्त के दृष्टिगत परिशिष्ट A से B तक में दर्शाए विवरणानुसार उक्त प्रावधान करने हेतु मद शैक्षणिक मामलों की समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः तैयार की गई भाषा का अनुमोदन किया गया तथा शेष अनुमोदित।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

समकक्षता–कम–विनियम समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 की कार्यवाही रिपोर्ट

Regulation No.	Existing	Proposed
96	CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT AS PAPER SETTERS : (i) For setting of question papers of Secondary Examinations retired/ working Master/ Headmaster/ Lecturer/ Principal of the concerned subject working in Govt./Aided schools in Haryana who hold at least Graduation/Post Graduation as well as B.Ed. degrees and have a minimum teaching experience of 15 years as a Master/Lecturer shall be eligible for appointment as paper setters. Similarly, for setting of question papers of Sr. Sec. Examinations, Lecturers/Principals of the concerned subject working in Govt./Aided schools in Haryana who hold at least Post Graduation as well as B.Ed. degree with a minimum Teaching experience of 15 years as a lecturer shall be eligible for appointment as paper setter. (ii) Retired/working lecturers in college affiliated to the Punjab University, Kurukshetra University/ M.D. University, Rohtak, G.J.U. Hisar, Ch. Devi Lal University, Sirsa, C.C.S. Haryana Agriculture University, Hisar, SCERT, Haryana/NCERT etc. with at least ten years experience of teaching the subject concerned and others considered suitable by the Revising Committee shall be eligible for appointment as paper-setters relaxation may be allowed in the case of subjects like Home Science, Crafts, Music, Military Science etc., where qualified	CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT AS PAPER SETTERS : (i) **For setting of question papers of Middle and other similar examinations** retired/ working Master/ Headmaster/ Lecturer/ Principal of the concerned subject working in Govt./**KVS/Navodya/Sainik Schools** in Haryana who hold at least Graduation/Post Graduation as well as B.Ed. degrees and have a minimum teaching experience of 12 years as a Master/Lecturer shall be eligible for appointment as paper setters. Similarly, **for setting of question papers of 9th to 12th, D.El.Ed and other similar examinations**, Lecturers/Principals of the concerned subject working in Govt./ **KVS/Navodya/Sainik Schools** /DIET Institutions in Haryana who hold at least Post Graduation as well as B.Ed. degree with a minimum Teaching experience of 12 years as a lecturer shall be eligible for appointment as paper setter. (ii) Retired/working lecturers, assistant/ associate professor, professor, principal in college affiliated to the Punjab University, Kurukshetra University, M.D. University, Rohtak, G.J.U. Hisar, Ch. Devi Lal University, Sirsa, C.C.S. Haryana Agriculture University, Hisar, SCERT, Haryana/ NCERT etc. with at least 10 years experience of teaching the subject concerned shall also be eligible for appointment as paper-setters.

	teachers are not available. Officers on administrative posts in Education Department, members and officers of the Board with requisite qualifications and experience in school education, shall also be eligible for appointment as paper-setters. Provided further that relaxation may be given in the minimum eligible teaching experience in case of subjects like Home Science, Sociology, Psychology, Fine Arts, Music, Military Science, Urdu, Agriculture, Animal Husbandry etc., where sufficient qualified Lecturers to prepare a panel are not available. College lecturer working in Haryana/Other State/U.T. shall also be considered eligible for appointment as paper setter for these subjects	Officers on administrative posts in Education Department, members and officers of the Board with requisite qualifications and experience in school education, shall also be eligible for appointment as paper-setters. Relaxation may be given/allowed in the minimum eligible teaching experience in case of subjects like Home Science, Sociology, Psychology, Fine Arts, Music, Military Science, Urdu, Agriculture, Animal Husbandry, NSQF etc., where sufficient qualified Lecturers to prepare a panel are not available. College lecturers, assistant/ associate professor, professor, principal working in Other State/U.T. shall also be considered eligible for appointment as paper setter for these subjects. **(iii) For setting of question papers of Haryana Teacher Eligibility Test and other similar examinations** retired/ working assistant/ associate professor, professor, principal in college/ universities (UGC approved universities and their colleges) with at least 10 years experience of teaching the subject concerned shall be eligible for appointment as paper-setters. Relaxation may be given/allowed in the minimum eligible teaching experience in case of subjects like Home Science, Sociology, Psychology, Fine Arts, Music, Military Science, Urdu, Agriculture, Animal Husbandry etc., where sufficient qualified assistant/associate professor, professor, principal to prepare a panel are not available.

	बोर्ड बैठक दिनांक 19.03.2021 के सामान्य विचार–विमर्श में हुए निर्णय Admission Withdrawal Registre एक रखने बारे की भाषा तैयार करवाई जानी है।	**CONDITION FOR AFFILIATION** (u) Every school should prepare a single admission withdrawal register for all 1st to 12th classes, as the case may be.
	हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नियम–2003 में विद्यालयी शिक्षा हरियाणा द्वारा जो संशोधन किया है, जिनको बोर्ड के नियमों में शामिल किया जाना है, उसका विवरण निम्न प्रकार से है:– 1.(1) These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules,2020. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Haryana School Education Rules, 2003, for Rule 10, the following rule shall be substituted namely:- "10 Matter to be provided in the syllabi section 3 and 24(2)(9)- The Director or Affiliating Board, as the case may be, while specifying the syllabi for primary, middle, secondary and senior secondary stage shall decided about the contents and text books to be laid down."	**CONDITION FOR AFFILIATION** (v) 1. (1) These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules,2020. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Haryana School Education Rules, 2003, for Rule 10, the following rule shall be substituted namely:- "10 Matter to be provided in the syllabi section 3 and 24(2)(9)- The Director or Affiliating Board, as the case may be, while specifying the syllabi for primary, middle, secondary and senior secondary stage shall decided about the contents and text books to be laid down."

Manoj Sharma. Kulbhushan Sharma

(Dr. Asha Kiran Jain)

मद संख्या 02

"शैक्षिक सत्र 2021–22 से हरियाणा प्रदेश के सभी विद्यालयों (अन्य बोर्डों से सम्बद्धता प्राप्त भी) की आठवीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड स्तर पर करवाये जाने के मामले पर चर्चा करना एवं प्रस्ताव देना।"

टिप्पणी:

निदेशक, मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा, पंचकूला से प्राप्त पत्र यादि कमांक–01/02–2019 आर0टी0ई0(1) दिनांक 25.06.2020 के माध्यम से बोर्ड द्वारा आठवीं की परीक्षा लिए जाने के आदेश प्रदान किए गए थे। इन आदेशों के अनुरूप मिडल परीक्षा का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाना है। इसी पत्र में हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, आर0टी0ई0 2011 में संशोधन करके कक्षा आठवीं का बोर्ड आरम्भ करने तथा शैक्षणिक वर्ष के अन्त में यदि विद्यार्थी न्यूतम पास अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसे पास होने के लिए दो अवसर और प्रदान किए जाएं, इस दौरान उसे विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। उसे फेल न करके अनुपूरक परीक्षा (प्रत्येक विषय में) देने का प्रावधान करने बारे आदेश प्रदान किये गए।

इस सम्बन्ध में बोर्ड अधिकारियों द्वारा जो निर्णय लिया गया उस अनुसार कक्षा आठवीं के प्रदेश के सभी विद्यालयों चाहे वो सी.बी.एस.ई. से सम्बन्धता रखते हों या अन्य किसी बोर्ड से। उन सभी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की आठवीं कक्षा की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जायेगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सी.बी.एस.ई. के माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा के Bye-Laws sub clause 7.1 of clause of 7 के अंतर्गत निम्न प्रावधान किया गया है:–

7.1(i) किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में स्थापित विद्यालय में कक्षा आठवीं तक उसी राज्य के नियम/विनियम व आदेश लागू होंगे अर्थात् राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिस राज्य में विद्यालय स्थापित है उस राज्य का बोर्ड अन्य बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की आठवीं की परीक्षा ले सकता है एवं इसके अतिरिक्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के अध्ययन खण्ड 3 और 24(2) (a) के तहत प्रावधान है कि प्राथमिक व मिडल तक पाठ्यकम कमेटी के साथ परामर्श से निदेशक द्वारा निर्दिष्ट अथवा अनुशंसित पाठ्यकम ही लागू होगा।

अतः उक्त सूचना/प्रस्ताव शैक्षणिक मामलों की समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अन्य सुझावात्मक प्रस्ताव देने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः अनुमोदित।

मद संख्या 03

"हरियाणा मुक्त विद्यालय की सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च/अप्रैल–2021 का परिणाम घोषित करने से सम्बन्धित नई नीति में परिवर्तन बारे। "

टिप्पणी:

कोविड–19 महामारी के कारण इस बोर्ड द्वारा बोर्ड मुक्त विद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत सीनियर सैकण्डरी की मार्च/अप्रैल 2021 वार्षिक परीक्षाओं को निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पत्र यादि क्रमांक 10/4–2020 एसीडी(15) दिनांक 15.04.2021 के बिन्दु संख्या–02 में वर्णित निर्देशों के तहत स्थगित करना पड़ा। हरियाणा मुक्त विद्यालय की परीक्षाएं आयोजित न होने के कारण उक्त परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने हेतु नीति निर्धारित की गई, जिसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा अधिसूचना क्रमांक 567/शैक्षिक/ए–2 दिनांक 02.07.2021 के अन्तर्गत सार्वजनिक किया गया।

इस अधिसूचना के पृष्ठ संख्या–07 के बिन्दु संख्या–xi में हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के परिणाम घोषित करने बारे निम्न प्रकार से प्रावधान किया गयाः–

क) मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत सैकण्डरी कक्षा के फ्रैश कैटेगरी पूर्ण विषयों के परीक्षार्थियों का परिणाम सभी विषयों में न्यूनतम उतीर्ण 33 प्रतिशत अंक दर्शाकर घोषित किया जाएगा।

ख) हरियाणा मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत सीनियर सैकण्डरी कक्षा के परीक्षार्थियों का परिणाम सैकण्डरी परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

इस उपरांत हरियाणा मुक्त विद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत सीनियर सैकण्डरी परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए बोर्ड के उच्चाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि जिस प्रकार सैकण्डरी नियमित परीक्षार्थियों के परिणाम में यदि किसी परीक्षार्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अंक 6 या 6 से कम दिये गये हैं तो उस स्थिति में भी परीक्षार्थी के न्यूनतम उतीर्ण 33 प्रतिशत अंक उस विषय/विषयों में माने जाएंगे। इसी अनुसार यह प्रावधान मुक्त विद्यालय की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में भी किया जाये तो उचित होगा क्योंकि मुक्त विद्यालय के सीनियर सैकण्डरी के परीक्षार्थियों का तो किसी भी विषय की लिखित/प्रायोगिक/आईएनए के अंकों का कोई रिकार्ड ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में केवल सैकण्डरी परीक्षा के अंकों को आधार मानकर सीनियर सैकण्डरी के अंक निर्धारण करने के निर्णय पर (एकरूपता के दृष्टिगत) पुनर्विचार किये जाने बारे निर्णय हुआ।

बोर्ड के नियमित परीक्षार्थियों के सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा का परिणाम सैकेण्डरी परीक्षा के 30 प्रतिशत अंक, ग्यारहवीं परीक्षा के 10 प्रतिशत एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा हेतु विद्यालयों द्वारा भेजे गए आई.एन.ए. के अंकों का 60 प्रतिशत लेते हुए परिणाम तैयार किया गया। उक्त के दृष्टिगत यहां यह उल्लेखनीय है कि हरियाणा मुक्त विद्यालय से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का इस प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड न होने के कारण सीनियर सैकेण्डरी के नियमित परीक्षार्थियों की तरह परिणाम तैयार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

हरियाणा मुक्त विद्यालय के सीनियर सैकेण्डरी परिणाम तैयार करने में आ रही कठिनाई के समाधान हेतु अधिसूचना के पृष्ठ–9 के बिन्दु संख्या– XV में दिये गये प्रावधान जिसके अनुसार परिणाम से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कठिनाई हेतु बोर्ड अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है उसी के दृष्टिगत अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में निर्धारित की गई अधिसूचित नीति में संशोधन करके हरियाणा मुक्त विद्यालय की सीनियर सैकण्डरी कक्षा का परिणाम भी हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकण्डरी परीक्षा के परिणाम की तर्ज पर ही न्यूनतम 33 प्रतिशत अंकों के आधार पर घोषित करने बारे आदेश पारित किये गये।इसी अनुसार अधिसूचना–2 जारी की गई जिसमें हरियाणा मुक्त विद्यालय की सीनियर सैकण्डरी कक्षा का परिणाम भी हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकण्डरी परीक्षा के परिणाम की तर्ज पर ही न्यूनतम 33 प्रतिशत अंकों के आधार पर घोषित बारे सूचना सार्वजनिक की गई। इसी अनुसार मुक्त विद्यालय की मार्च/अप्रैल–2021 सीनियर सैकण्डरी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया।

कृपया उक्त मामला शैक्षिक दृष्टि से विचारार्थ एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा लिये निर्णय की पुष्टि हेतु शैक्षिक मामलों की समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः

After examining the entire issue and while noticing the discrimination in the earlier decision dated 02-07-2021 as detailed in the agenda, The decision of the Chairman of the Board taking uniform criteria under similar circumstances, is hereby ratified and approved. The earlier notification dated 2-07-2021 be treated as substituted to this extent from the date it was issued and notification No. -2 to this effect is hereby approved. If any student is not satisfied with the result, he/she can appear in physical conducting of the examination as it was already conducted in August ,2021 and September 2021.

मद संख्या 04

सैकेण्डरी कक्षा में सी.बी.एस.ई. की तर्ज पर आधार गणित(Basic Maths) व मानक गणित (Standard Maths) में से विषय विकल्प के चयन बारे।

टिप्पणीः

प्रायः देखने में आया है कि सैकेण्डरी कक्षा के कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी गणित विषय मे अधिक रूचि न होने के कारण उनके द्वारा इस विषय का चयन सिर्फ सैकेण्डरी कक्षा तक ही किया जाता है तथा अनिवार्य विषय होने के कारण ऐसे छात्रों को यह विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक हो जाता है व रूचि न होने के कारण काफी कठिनाई/मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

इसी सन्दर्भ में सैकेण्डरी कक्षा में गणित का अनावश्यक भय छात्रों के मन से दूर करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर सैकेण्डरी कक्षा के लिए Basic Maths & Standard Maths में से विषय चयन करने का विकल्प दिए जाने एवं गणित विषय में दो प्रकार का पाठ्यकम एवं प्रश्न पत्र देने बारे विचार किया गया। इस प्रणाली अनुसार जो छात्र आगे की पढ़ाई में गणित विषय नहीं लेना चाहते उनको आधार गणित (Basic

Maths) का चयन करके परीक्षा देना काफी आसान रहेगा, लेकिन ऐसे छात्रों को अगली कक्षा अर्थात् ग्याहरवीं में गणित विषय के चयन के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। सैकेण्डारी कक्षा में मानक गणित (Standard Maths) का अध्ययन करने वाले छात्र ही आगामी पढ़ाई में गणित विषय का अध्ययन कर पायेंगे। इसी संदर्भ में विषय विशेषज्ञों की राय जानने के लिए बैठक में मद के रूप में रखा जाना प्रस्तावित है।

कृपया शैक्षणिक मामलों की समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः अनुमोदित।

मद संख्या 05

" आंतरिक मूल्यांकन के लिये निर्धारित अंकों के PBL (Project Based Learning) भाग में पेड़ लगाने वाले विद्यार्थियों को 02 अंक देने के प्रावधान बारे।"

टिप्पणीः—

बोर्ड बैठक दिनांक 17.07.2018 के पैरा संख्या –11 के अंतर्गत सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी आई.एन.ए. के अंक भेजने के लिये किये गये प्रावधान में PBL (अधिगम आधारित शिक्षण) भाग के लिये 05 अंक निर्धारित किये गये थे।

गत समय में वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण ऐसा महसूस किया गया कि यदि पेड़ न होते तो महामारी का प्रकोप और अधिक भयावह हो सकता था। इसलिये पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिये पेड़ों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा इस दिशा में और अधिक जागरूकता लाने के लिये सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी के परीक्षार्थियों को PBL में पूर्व में दिये जाने वाले 05 अंकों के पुनः वर्गीकरण करके 02 अंक विद्यालय में पेड़ लगाने पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अब PBL भाग के अंकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया प्रस्तावित है :—

पूर्व में PBL – 05 अंक

प्रस्तावित वर्गीकरण पेड़ लगाने संरक्षित करने के लिये– 02 अंक

PBL के – 03 अंक

....

कुल अंक – 05 अंक

आई.एन.ए. के अन्य भाग असंशोधित ही रहेंगेः—

अर्थात्	1- SAT	–	10 अंक
	2 Attendence	–	05 अंक
	3 क पेड़ लगाने के (PBL)	–	02 अंक
	ख PBL	–	03 अंक
	कुल अंक	–	20 अंक

कृपया दिया गया प्रस्ताव शैक्षणिक मामलों की समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः अनुमोदित।

मद संख्या–06

"पंजाबी भाषा विषय में पूर्व में अपनाई हुई पुस्तकों के स्थान पर नई पुस्तकें अपनाने बारे। "

टिप्पणीः

6.8.2021 को पंजाबी अध्यापक अते भाषा कल्याण सोसाईटी(रजि0 01358) की कुछ मांगों बारे माननीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

1 वर्तमान में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक पंजाबी विषय की पुस्तकें सीबीएसई द्वारा प्रकाशित करवाई जाती है। सी0बी0एस0ई0 द्वारा नौवीं एवं दसवीं की पूर्व में प्रकाशित पुस्तक ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रचलित की हुई है। इन पुस्तकों का स्टॉक सी0बी0एस0ई0 के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है इसलिए इन पुस्तकों के स्थान पर सी0बी0एस0ई0 की नई पुस्तकें लागू करने एवं उनकी उपलब्धतता सूनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है यदि सीबीएसई पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है तो क्षेत्र की मांग के अनुसार खरीदने अथवा कॉपीराईट अनुमति के आधार पर छपवाने की कार्यवाही की जाये। यह पुस्तकें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कॉपीराईट के तहत प्रकाशित करवाई जानी प्रस्तावित है।

2 वर्तमान में प्रचलित पूस्तकों में कक्षा बारहवीं में शोभाशक्ति नामक नाटक की पुस्तक लगाई हुई है। आज के परिवेश में शोभाशक्ति नाटक की यह पुस्तक प्रतिकूल चित्रांकन करती है। जिस कारण इस नाटक के पढाने से समाज में गलत सन्देश जाता है। अतः इसके स्थान पर आत्मजीत द्वारा लिखित नाटक "रिश्ता दा की ना रखिए" नामक पुस्तक को लागू करने पर विचार किया जाये।

3 इसके अतिरिक्त पंजाबी विषय में अध्ययन/अध्यापन करवाने विद्यालय पंजाबी अध्यापकों के नाम स्टॉफ स्टेटमैन्ट में अवश्य भिजवायें। क्योंकि स्टॉफ स्टेटमैन्ट में विषय अध्यापकों के नाम न आने के कारण बोर्ड का विभिन्न प्रकार का कार्य प्रभावित होता है। यदि कोई विद्यालय ऐसा नहीं करता है तो उस विद्यालय को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया बिन्दु01 से 03 पर दिये प्रस्ताव शैक्षिक दृष्टि से विचार करने के लिए शैक्षिक मामलों की समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रेषित है।

निर्णयः अनुमोदित।

मद संख्या 07

"निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा द्वारा हरियाणा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भापरा समालखा (पानीपत) की मान्यता/सम्बद्धता रद्द किये जाने के कारण सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षार्थियों की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाने बारे।"

टिप्पणी:

निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा के पत्र यादि क्रमांक 7/53–2015 पी0एस(2)दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत को लिखा गया है कि प्रधान शिव शिक्षा प्रचार समिति समालखा, पानीपत द्वारा दिये गये आवेदन जो कि उन्हें वर्ष 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु था, इसे दिनांक 30.03.2021 को सक्षम अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस स्कूल द्वारा इस सत्र से 9वी से 12वी तक की कक्षा के लिए छात्रों का दाखिला मान्यता मिलने से पहले ही किया गया। स्कूल की मान्यता न होने के कारण उक्त छात्रों का वर्ष बर्बाद न हो इसलिए आपसे अनुरोध है कि उक्त विद्यालय में दाखिल छात्रों को नजदीक के सरकारी विद्यालय में दाखिल करवाने का कष्ट करें, ताकि बच्चों की पढाई में दुविधा न हो सके तथा मामले की नवीनतम स्थिति से एक सप्ताह के अन्दर–2 निदेशालय को भी अवगत करवाए। सत्रों की रजिस्ट्रेशन इत्यादि के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से भी मामला टेकअप करें, ताकि छात्राओं का वर्ष बर्बाद न हो।

इसके पश्चात हरियाणा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भापरा समालखा में अध्ययनरत कक्षा नौवीं से बारहवीं के सभी छात्रों/छात्राओं का प्रवेश राजकीय मॉडल सीनियर सैकण्डरी स्कूल समालखा, पानीपत में किया गया जिसकी सूचना संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा नौवीं से बारहवीं तक छात्रों की संख्या से बोर्ड को अवगत करवाया गया जिनकी कुल संख्या 236 बताई गई। सूचना पत्र परिशिष्ठ सी पर उपलब्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.07.02021 को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित विद्यालय की सैकण्डरी एवं सीनियर सेकण्डरी की परीक्षा परिणाम पूर्व निर्धारित नीति अनुसार घोषित किया जाए, आईएनए बारे में परीक्षा के बाद फाईल प्रस्तुत की जाए। प्रायोगिक परीक्षा होगी जिसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। चूंकि विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता शिक्षा निदेशालय, हरियाण द्वारा मार्च माह में रद्द कर की गई थी इस आधार पर सम्बन्धित विद्यालय द्वारा आई.एन.ए. के अंक बोर्ड को नहीं भेजे गये थे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इनके आई.एन.ए. के अंक मंगवाने बारे मामले पर पुनः विचार किया जाना था।

लेकिन शाखा द्वारा अध्यक्ष महोदय के आदेशों का अनजाने में गलत अर्थ निकालकर रा0मा0सी0सै0 समालखा से आई.एन.ए. व प्रायोगिक अंक मंगवाकर परिणाम घोषित कर दिया गया जो कि नियमानुसार गलत था क्योंकि रा0मॉडल सी0सै0 स्कूल, समालखा से आई.एन.ए. व प्रायोगिक के अंक मंगवाए गए, उसमें विद्यार्थियों द्वारा पूर्णकालीन समय में अध्ययन ही नहीं किया गया तो उक्त विद्यालय द्वारा आईएनए के अंक केसे भेजे जा सकते थे। क्योंकि आईएनए के अंक पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया के आधार पर दिए जाते हैं। जब इस गलती का पता चला तो इनका परिणाम रद्द करने हेतु मामला अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया गया। पूर्ण तथ्यों का अवलोकन करने उपरान्त उन द्वारा परिणाम रद्द कर दिया गया। इसके प्रमाण पत्र कार्यालय में ही उपलब्ध हैं। सैकण्डरी का परिणाम पहले ही लम्बित रखा हुआ है।

इसके साथ–2 सभी तथ्यों पर गहनता से विचार विमर्श करने उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 09.09.2021 को सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी के उन 73 एवं 59 क्रमशः परीक्षार्थियों की परीक्षा बोर्ड के स्तर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अब इन परीक्षर्थियों की परीक्षा अक्तूबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा लिये निर्णय की पुष्टि हेतु शैक्षिक मामलों की समिति के समक्ष प्रस्तुतहै।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

School Education / विद्यालय शिक्षा विभाग

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

कार्यालय: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकूला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

रजिस्टर्ड
सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
पानीपत।

14153

यादी क्रमांक 7/53–2015 पी०एस० (2)
दिनांक पंचकूला :– 10/06/2021

विषय: **Request to grant affiliation for the year 2020-21-Haryana Sr. Sec. School Samalkha, Panipat.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि प्रधान शिव शिक्षा प्रचार समिति, समालखा, पानीपत द्वारा दिए गए आवेदन जोकि उन्हें वर्ष 2020–21 हेतु provisional affiliation प्रदान करने हेतु था जिसे दिनांक 30.03.2021 को सक्षम अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस स्कूल द्वारा इस सत्र मे 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए छात्रों का दाखिला भी किया गया है। स्कूल की मान्यता न होने के कारण उक्त छात्रों का वर्ष बर्बाद न हो इस लिए आपसे अनुरोध है कि उक्त विद्यालय में दाखिल छात्रों को नजदीक के सरकारी विद्यालय मे दाखिल करवाने का कष्ट करें, ताकि बच्चों की पढाई में दुविधा न हो सके तथा मामले की नवीनतम स्थिति से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर निदेशालय को भी अवगत करवाए। छात्रों की रजिस्ट्रेशन इत्यादी के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से भी मामला takeup करे, ताकि छात्राओं का वर्ष बर्बाद न हो।

हस्ता०
सहायक निदेशक पी०एस०
कृते निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा पंचकूला।

पृष्ठांकन–क्रमांक–सम–

दिनांक पंचकूला:– 10/06/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से अनुरोध है कि कृप्या उक्त विद्यालय में दाखिल छात्रों जोकि अन्य विद्यालयों में शिफ्ट किए जाएगें, के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित मामले को सहानुभुतिपूर्वक विचारें ताकि उनका समय बर्बाद न हो।

निर्णयः पुष्टि की गई ।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

सहायक सचिव, शैक्षिक 27/9/21

अधीक्षक, शैक्षिक 27/9/21

संयुक्त सचिव 27/9/21

मा0 सचिव 27/9/21

मा0उपाध्यक्ष महोदय 27/9/2021

माननीय अध्यक्ष महोदय 27/9/21